


पत्रकारों एवं  
आदि के हस्ताक्षर

355

463

**न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर,  
सर्किट कोर्ट रीवा, (म०प्र०)**

R. 2823-J/12



224

बिमला सिंह तनय बिजय सिंह निवासी ग्राम-देवरा,  
आजतहसील-देवसर, जिला-सिंगरौली म०प्र०  
प्राप्त

-----निगरानीकर्ता/आवेदिका

7-8-12  
कमर्क और कौट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम्  
छटिलाल तनय बुच्चड कोल निवासी ग्राम-देवरा,  
तहसील-देवसर, जिला-सिंगरौली म०प्र०

----- अनावेदक

अधिवक्ता श्री सातगवेरा मिश्र  
द्वारा उल्लेखित  
रीवा, दिनांक 28.7.2012

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश  
अपर कलेक्टर महोदय सिंगरौली  
द्वारा प्रकरण क्रमांक 147/  
निगरानी/2010-11 में पारित  
आदेश दिनांक 30-05-12  
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०  
भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी प्रकरण के आधारों को उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण के  
संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो  
निम्नलिखित है:-

यह कि प्रकरण की वादग्रस्त भूमियां जो प्रश्नाधीन  
अपर कलेक्टर साहब के आदेश के पैरा 1 में उल्लिखित  
हैं कि स्वत्वधारी एवं आधिपत्यधारी आवेदक है, जिन पर  
वह विन्ध्यप्रदेश के समय से गैरहकदार काश्तकार के रूप  
में रिकार्डों पर दर्ज होने के कारण म०प्र० भू-राजस्व  
संहिता 1959 ई० लागू होने पर संहिता की धारा 158  
के तहत आवेदक स्वमेव भूमिस्वामी हो गये हैं, किंतु  
राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त भूमियों के रिकार्डों में  
आवेदक का नाम दर्ज नहीं करने पर आवेदक ने बंदोबस्त

M


*(Handwritten signature)*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-2823-I/2012

जिला-सिंगरौली

विमला सिंह/छठिलाल कोल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 147/निग0/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	